

23

Ench
LR

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शाखा- वन भू अभिलेख) सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्र०/वन अधि./ 784

भोपाल, दिनांक 8/09/2013

प्रति,

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला


1. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
क्षेत्रीय वन वृत्त, म.प्र.।
2. समस्त क्षेत्र संचालक,
टाईगर रिजर्व, म.प्र.।
3. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान,
शिवपुरी, म.प्र.।
4. मुख्य वन संरक्षक,
सिंह परियोजना, ग्वालियर, म.प्र.।

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के नियम 9 अन्तर्गत गठित राज्य स्तर की निगरानी समिति की दसवी बैठक दिनांक 13.08.2013 का कार्यवाही विवरण पर पालन प्रतिवेदन।

संदर्भ: - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वन.अधि./704 दिनांक 24.08.2013.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित राज्यस्तरीय निगरानी समिति की आयोजित बैठक दिनांक 13.08.2013 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक-2 में लिये गये निर्णय अनुसार "वन विभाग 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व के सभी अतिक्रमणकारियों की सूची एवं वन विभाग द्वारा लगाये गये जुर्माने की व्यक्तिवार सूची संबंधी जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराये जिससे जिला स्तर पर इस सूची का परीक्षण कर पात्र एवं अपात्र व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जा कर पात्र व्यक्तियों को वन अधिकार पत्र दिये जा सकें तथा अपात्र व्यक्तियों को अपात्रता के कारणों की सूचना दी जा सके"। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावेदारों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों में साक्ष्य के रूप में पूर्व समय की पी.ओ.आर एवं विभागीय मनी रसीदें आदि प्रस्तुत की जाती हैं। इस संबंध में वन विभाग की ओर से अपना पक्ष रखने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/वन.अधि./704 दिनांक 24.08.2013 से लेख किया गया है, जिसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

विषयांकित प्रकरण में समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा निर्णय अनुसार चाही गई वांछित जानकारी संबंधित जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करा कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि आपसे प्राप्त जानकारी को एकजाई करके समिति की आगामी बैठक पूर्व शासन को पालन प्रतिवेदन भेजा जा सके।


(जे०पी०शर्मा) 8/09/13

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-भू अभि०)
मध्यप्रदेश, भोपाल